

उत्तर देने के लिए निर्धारित प्रपत्र

विभाग का नाम – वित्त


विभाग का पता – चौथा तल ए विंग, दिल्ली सचिवालय

अतारांकित प्रश्न संख्या –120

दिनांक – 23.08.2019

प्रश्न कर्ता का नाम– श्री विजेंद्र गुप्ता

प्रश्न	उत्तर								
(क) केंद्रीय करों में दिल्ली का कितना हिस्सा है,	दिल्ली को केंद्रीय करों में यथोचित अंश के स्थान पर अनुदान दी जा रही है। जो कि मात्र 325 करोड़ रुपये है और यह अनुदान वर्ष 2001 से बढ़ाया नहीं गया है।								
(ख) वर्ष 2018-19 में दिल्ली का बजट कितना था और इसमें से केन्द्र सरकार ने कुल मिलाकर विभिन्न मदों में कितनी राशि दी;	वर्ष 2018-19 में दिल्ली का बजट कुल 53000 करोड़ रुपये का था। जिसमें से केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों में कुल 1741.76 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली सरकार को विभिन्न मदों में प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त 4182 करोड़ रुपये जीएसटी लागू करने पर होने वाले राजस्व घाटे के एवज में प्राप्त हुए हैं।								
(ग) दिल्ली सरकार को कितनी राशि अनुदान के रूप में और सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेन्शन के रूप में प्राप्त हुई;	दिल्ली सरकार को भारत सरकार से अनुदान के रूप में वर्ष 2018-19 में मात्र 1582.01 करोड़ रुपये (325 करोड़ – केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बदले अनुदान, 449.99 करोड़ रुपये- केंद्रीय सहायता और 807.02 करोड़ रुपये – केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ) प्राप्त हुए। सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन का भुगतान भारत सरकार के बजट में सम्मिलित था, अतः इस मद में दिल्ली सरकार को कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।								
(घ) भारत सरकार से वर्ष 2018-19 में कितनी राशि जीएसटी लागू करने पर होने वाले राजस्व घाटे के एवज में मिली;	भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में दिल्ली सरकार को जीएसटी लागू करने पर होने वाले राजस्व घाटे के एवज में 4182 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में प्रदान किये।								
(ङ) जीएसटी के कारण वर्ष 2017-18 और 2018-19 में सरकार को वैट इत्यादि के मुकाबले कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई; और	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>(जीएसटी) करोड़ रुपये</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-18</td> <td>13880.02</td> </tr> <tr> <td>2018-19</td> <td>19197.26</td> </tr> <tr> <td>वृद्धि/कमी</td> <td>5317.24</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	(जीएसटी) करोड़ रुपये	2017-18	13880.02	2018-19	19197.26	वृद्धि/कमी	5317.24
	वर्ष	(जीएसटी) करोड़ रुपये							
	2017-18	13880.02							
	2018-19	19197.26							
वृद्धि/कमी	5317.24								
क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद तथा लीकर को छोड़कर वैट, लग्जरी टैक्स, मनोरंजन कर, सेवा कर, सेंट्रल एक्साइज इत्यादि वर्ष 2017-2018 में जीएसटी लागू होने पर जीएसटी में समाहित हो गये थे, इसलिए जीएसटी में प्राप्त राशि की तुलना वैट इत्यादि से नहीं की जा सकती है।									
(च) केन्द्रीय सरकार दिल्ली मेट्रो, एम्स तथा अन्य प्रमुख अस्पताओं, नेशनल हाईवेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से खर्च हुई राशि का बजट दिल्ली सरकार के बजट में सम्मिलित नहीं है?	केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली मेट्रो, एम्स तथा अन्य प्रमुख अस्पताओं, नेशनल हाईवेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से खर्च हुई राशि का बजट दिल्ली सरकार के बजट में सम्मिलित नहीं है।								

  
**Y. P. KAUSHIK**  
 J S (Budget)